

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 2012

का.आ. 2786(अ).—जबकि, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 11 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) के प्रयोजनों के लिए सत्र न्यायाधीश का न्यायालय, दमन को दिनांक 25 जून, 2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 1459(अ) के तहत विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया था जिसका क्षेत्राधिकार संपूर्ण दमन संघ राज्य क्षेत्र था;

और जबकि, मुम्बई उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश ने उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए श्री बाल साम्बशिव वासेकर, प्रधान जिला न्यायाधीश, द्वीव के नाम की संस्तुति की है;

अतः, अब, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11 की उप-धारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा श्री श्री बाल साम्बशिव वासेकर, प्रधान जिला न्यायाधीश, द्वीव को उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए "न्यायाधीश" के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. 17011/50/2009-आई एस-VI (IV)]

धर्मेन्द्र शर्मा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd November, 2012

S.O. 2786(E).—Whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred under sub-section (1) of Section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), had notified the Court of Sessions Judge at Daman, as the Special Court for purposes of sub-section (1) of Section 11 of the said Act for the trial of Scheduled Offences having Jurisdiction throughout the Union Territory of Daman vide notification number S.O. 1459(E), dated the 25th June, 2011:

And whereas, the Hon'ble Chief Justice of the High Court, Bombay has recommended the name of Shri Bal Sambshio Wasekar, Principal District Judge, Diu, to preside over the said Special Court;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under sub-section (3) of Section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008, the Central Government hereby appoints Shri Bal Sambshio Wasekar, Principal District Judge, Diu, as a "Judge" to preside over the said Special Court.

[F.No. 17011/50/2009-IS-VI (IV)]

DHARMENDRA SHARMA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 2012

का.आ. 2784(अ).—जबकि, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 11 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) के प्रयोजनों के लिए सत्र न्यायाधीश का न्यायालय, दादरा एवं नगर हवेली, सिलवासा को दिनांक 25 जून, 2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 1457(अ) के तहत विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया था जिसका क्षेत्राधिकार संपूर्ण दादरा एवं नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र था;

और जबकि, मुम्बई उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश ने उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए श्री भोजराज पदमशेट्टी पाटिल, प्रधान जिला न्यायाधीश, दादरा एवं नगर हवेली, सिलवासा के नाम की संस्तुति की है;

अतः, अब, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11 की उप-धारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा श्री भोजराज पदमशेट्टी पाटिल, प्रधान जिला न्यायाधीश, दादरा एवं नगर हवेली, सिलवासा को उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए "न्यायाधीश" के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. 17011/50/2009-आई एस-VI(IV)]

धर्मन्द्र शर्मा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd November, 2012

S.O. 2784(E).—Whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred under sub-section (1) of Section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), had notified the Court of Sessions Judge, Dadra and Nagar Haveli at Silvasa, as, the Special Court for purposes of sub-section (1) of Section 11 of the said Act for the trial of Scheduled Offences having Jurisdiction throughout the Union Territory of Dadara and Nagar Haveli vide notification number S.O. 1457(E), dated the 25th June, 2011;

And whereas, the Hon'ble Chief Justice of the High Court, Bombay has recommended the name of Shri Bhojraj Padamshetti Patil, Principal District Judge, Dadara and Nagar Haveli at Silvasa, to preside over the said Special Court;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under sub-section (3) of Section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008, the Central Government hereby appoints Shri Bhojraj Padamshetti Patil, Principal District Judge, Dadara and Nagar Haveli at Silvasa as a "Judge" to preside over the said Special Court.

[F.No. 17011/50/2009-IS-VI(IV)]

DHARMENDRA SHARMA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 2012

का.आ. 2785(अ).—जबकि, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 11 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) के प्रयोजनों के लिए सत्र न्यायाधीश का न्यायालय, द्वीव, को दिनांक 25 जून, 2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 1458(अ) के तहत विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया था जिसका क्षेत्राधिकार संपूर्ण द्वीव संघ राज्य क्षेत्र था;

और जबकि, मुम्बई उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश ने उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए श्री बाल साम्बशिव वासेकर, प्रधान जिला न्यायाधीश, द्वीव के नाम की संस्तुति की है;

अतः, अब, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11 की उप-धारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा श्री श्री बाल साम्बशिव वासेकर, प्रधान जिला न्यायाधीश, द्वीव को उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए "न्यायाधीश" के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. 17011/50/2009 आई एस-VI(IV)]

धर्मन्द्र शर्मा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd November, 2012

S.O. 2785(E).—Whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred under sub-section (1) of Section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), had notified the Court of Sessions Judge at Diu as the Special Court for purposes of sub-section (1) of Section 11 of the said Act for the trial of Scheduled Offences having Jurisdiction throughout the Union Territory of Diu vide notification number S.O. 1458(E), dated the 25th June, 2011;

And whereas, the Hon'ble Chief Justice of the High Court, Bombay has recommended the name of Shri Bal Sambshio Wasekar, Principal District Judge, Diu, to preside over the said Special Court;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under sub-section (3) of Section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008, the Central Government hereby appoints Sri Bal Sambshio Wasekar, Principal District Judge, Diu as a "Judge" to preside over the said Special Court.

[F.No. 17011/50/2009-IS-VI(IV)]

DHARMENDRA SHARMA, Jt. Secy.